न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 18/2018
GCMS NO. : 2018/00046

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. दयाराम पुत्र लाला जी फौत के का.मु. 1.1 कैलाश पुत्र दयाराम 1.2 मुन्नी पुत्री दयाराम 1.3 नैनी पुत्री दयाराम 1.4 संतोष देवी पुत्री दयाराम 1.5 शांति पुत्री दयाराम जातियान माली निवासीगण बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली।		1. ढगलाराम पुत्र शंकरलाल पुत्र लालाराम 2. महाराम पुत्र लाला 3. जेथल पुत्री गोकल पुत्र लाला 4. मेना पत्नी गोकल पुत्र लाल जातियान माली निवासी बलून्दा तहसील जैतारण 5. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली। 6. राजस्थान सरकार बजरिए तहसीलदार महोदय एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 तथा सपठित धारा 151सी.पी.सी **तारीख रजू:–29.01.2018**

उपस्थितः–

1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय :: **दिनॉकः–31/05/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तथा सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत् इस आशय का पेश किया कि ग्राम बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली में निम्न आराजीयात स्थित है– खसरा संख्या 1014 रकबा 16–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 1056/2341 रकबा 27–00 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 968 रकबा 13–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 969 रकबा 16–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 977 रकबा 15–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 875 रकबा 00–04 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा संख्या 876 रकबा 40–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 982 रकबा 00–08 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा संख्या 1055 रकबा 130–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 9 कुल रकबा 259–18 बीघा। उक्त भूमि सायल एवं गैरसायल की शामलाति कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है जिसे प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी खतौनी की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। विवादग्रस्त आराजी में सायल पैतृक पुश्तैनी आधार व हैसियत से काबिज खातेदार काश्तकार है सायल के हक हिस्से की भूमि बाबत् राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

रेकर्ड में इन्द्राज नही होने के कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और इसी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित समस्त खसरा संख्याओ की भूमियो में सायल के पिता लाला पुत्र जीता के हक हिस्से की भूमि ही विवादित है। सायल के पिता स्व. लाला पुत्र जीता के हक हिस्से की भूमि में सायल का 1/4 हिस्सा पुश्तैनी व विरासती अधिकारो व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आता है। जो जमाबंदी संवत् 2028 से 2048 से भी साबित है कि उक्त भूमि सायल की पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि है। जिसकी प्रमाणित प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। सायल के पिता स्व. लाला पुत्र जीता का फौतेदगी म्युटेशन संख्या 1792, 1826, 1797, 1793, 1798 दिनांक 05.06.1989 को दर्ज करते हुए स्व. लाला पुत्र जीता के विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारियो का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया उस दरम्यान संबंधित पटवारी हल्का ने सही जांच पड़ताल एवं पूछताछ व जानकारी प्राप्त नही करते हुए उक्त नामान्तरणकरण दर्ज किए जिसमें सायल का नाम उक्त नामान्तरणकरण में दर्ज नही किया। जबकि सायल स्व. लाला पुत्र जीता का जायन्दा पुत्र है। जो गैरसायल संख्या 1 व 3 का सगा काका व गैरसायल संख्या 2 का सगा बड़ा भाई व गैरसायल संख्या 4 का सगा जेठ है। सायल स्व. लाला पुत्र जीता का जायन्दा पुत्र होने से स्व. लाला पुत्र जीता की हक हिस्से की भूमियों में अपना 1/4 हिस्सा की भूमि का खातेदार काश्तकार होने एवं दिनांक 05.06.1989 तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा अवैध व गलत रूप से भरे गये नामान्तरणकरण संख्या 1792, 1826, 1797, 1793, 1798 को निरस्त करवने और स्व. लाला पुत्र जीता के हक हिस्से की भूमि में 1/4 हिस्सेदार खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की घोषणा करवाने का कानूनी व वैधानिक रूप से अधिकारी है। नामान्तरणकरण संख्या 1792, 1826, 1797, 1793, 1798 की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। सायल के पिता स्व. लाला पुत्र जीता की मृत्यु के समय सायल ने भी अन्य वारीसान की भांति ही स्व. लाला पुत्र जीता के क्रियाक्रम एवं धार्मिक अनुष्ठान वगैरह में हुए खर्चे में भी अपने 1/4 हिस्सा का खर्चा भी वहन किया था सायल मजदूरी के सिलसिले में गांव से बाहर गया हुआ था उस दरम्यान उक्त भूमियो के फौतेदगी म्युटेशन सायल के बडे भाई शंकरलाल ने भरवाये थे। तब गांव में मौजूद तीन भाईयो के नाम की हल्का पटवारी को बताये थे और सायल का नाम नही बताने व हल्का पटवारी द्वारा अपने स्तर पर जांच पड़ताल नही करने के कारण सायल का नाम स्व. लाला पुत्र जीता के नाम की भूमियो के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की घोषणा करवाने व नाम दर्ज करवने का विधिक अधिकारी है तथा सायल के नाम की उक्त खसरा संख्या की भूमियो में खातेदार काश्तकार की घोषणा की जाना न्यायतन आवश्यक एवं विधि सम्मत है। अन्यथा सायल को अपने विरासती एवं पुश्तैनी हक अधिकारो व साम्पैतिक [illegible] से व हक हिस्से की भूमि से हमेशा हमेशा के लिए वंचित [illegible] जायेगा। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में सायल का नाम दर्ज नही होने से वर्तमान में गैरसायल संख्या 1 से 4 के नाम ही इन्द्राज है तथा गैरसायल संख्या 1 ने गैरसायल संख्या 5 की बैक से स्व. लाला पुत्र जीता के हक हिस्से की भूमि के 1/3 हिस्से की भूमि पर ऋण ले

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

रखा है। जो गलत है क्योकि स्व. लाला पुत्र जीता के हक हिस्से की भूमि में गैरसायल संख्या 1 का 1/4 हिस्सा आता है। इसलिए सायल अपने स्व पिता लाला पुत्र जीता के हक हिस्से की भूमि के राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार व उत्तराधिकारी के रूप में अपने नाम की घोषणा करवाने के साथ साथ गैरसायल संख्या 1 द्वारा जो 1/3 हक हिस्से की भूमि पर अपना हक हिस्सा बताकर ऋण लिया है वो भी 1/4 हक हिस्से की भूमि पर ही प्रभावी माना जावे कि घोषणा करवाने एवं रेकर्ड दुरुस्त करवाने का सायल कानूनी रूप से अधिकारी है। सायल के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने का गैरसायलान का कोई कानूनी अधिकार नही है व गैरसायलान विवादित भूमि से सायल को बेदखल कर कब्जा करने की कोशिश की तो मोके पर टण्टा फसाद होगा तथा विविध मुकदमे बाजी होगी सायल को गैरसायलान के विरूद्धं बार बार दीवानी व फौजदारी मुकदमें करने होगे जिससे मल्टीस्पेशलिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी व सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है। जिसका मूल्यांकन रूपयो में नही आंका जा सकता है। उपरोक्त कारणो से सायल के हक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन बखुबी साबित होता है। इसलिए सायल गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 5 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से वकील ओमप्रकाश पंचारिया ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि सरहद मौजा बलून्दा में खसरा संख्या 1014, 1056/2341, 968, 969, 977, 875, 876, 982, 1055 कुल रकबा 259-18 बीघा गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में जब सायल का कोई हक हिस्सा अधिकार ही नही है तो सायल का गैरसायलान के साथ सामलाती कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि होने का कथन पूर्णतया गलत व झूठा व मनमाना व विरुद्ध दस्तावेज के कथन किए है। सायल ने लालाराम का वंशज होने की जो वंशावली अंकित की है जो पूर्णतया गलत झूठी व बिना किसी दस्तावेजी सबूत के पेश की है। जबकि लालाराम के शंकरलाल, गोकुल व महाराम तीन पुत्र ही थे। सायल जब लालाराम का वारीस ही नही है तो पद संख्या 1 में वर्णित खसरा संख्या की भूमि को पैतृक पुश्तैनी बताते हुए हक अधिकार की जो मांग की है जो गलत व गैरकानूनी है। अन्य कथन गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी में सायल जब लालाराम का वारीसान ही नही है तो उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होना मानकर 1/3 हिस्सा होने के कथन गलत व मनमाना कथन किये है सायल का प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के किसी भी भू भाग पर कभी भी कब्जा काश्त नही है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार लाला पुत्र जीता की मृत्यु होने पर जो फौतेदगी म्युटेशन संख्या 1792, 1826, 1797, 1793, 1798 दिनांक 05.06.1989 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

तत्कालीन रेवेन्यू एजेंसी व सरपंच ग्राम पंचायत बलून्दा ने स्वीकृत किए। जो लालाराम के वारिसान के सम्पूर्ण जांच कर व मौके पर कब्जा काश्त की जांच कर स्वीकृत किए जो जायज व वैद्य है। उक्त म्युटेशन पारित किए हुए करीब 30 वर्ष भी हो चुके है। सायल ने अपने आप को लालाराम का पुत्र बताया है। जबकि दयाराम पुत्र लालाराम जाति माली निवासी बलून्दा में कोई व्यक्ति नही है। न ही गांव बलून्दा में सायल का रहवास है। न ही सायल का गांव बलून्दा में राशन कार्ड, पहचान पत्र या अन्य कोई सरकारी दस्तावेज नही है। न ही गैरसायलान ने सायल को आज दिन तक कभी देखा है। न ही सायल लालाराम के वारिसान शादी गमी या अन्य कोई सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित हुआ है। मात्र गैरसायलान की सम्पति को हड़पने की नियत से बिना किसी दस्तावेजी सबूत के तथा न ही प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त रहा हो इसलिए सायल गैरसायलान के 1/3 वे हिस्से भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने का कतई अधिकारी नही है। लालाराम पुत्र जीता की मृत्यु के समय सायल अपने आप को लालाराम का पुत्र बताते हुए दाहसंस्कार व बारवा व अन्य कार्यक्रम में आना व खर्चा देने के कथन भी कपोल कल्पित व झूठ अंकित किए है। सायल का ग्राम बलून्दा में कोई रहवासी मकान व प्लॉट आदि भी नही है। सायल द्वारा यह कथन करना कि मजदूरी के सिलसिले में बाहर गांव जाना व उक्त भूमि में बड़े भाई ने म्युटेशन भरवाने के कथन भी मनमाने व गलत अकित किए है। शंकरलाल के भाई गोकुल व महाराम ही है। न्यायालय द्वारा उत्तरदाता गैरसायलान को सम्मन आने पर प्रथम बार यह जानकारी हुई कि सायल ने गैरसायलान की भूमि को हड़पने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया। वादग्रस्त आराजी में गैरसायलान खातेदार काश्तकार है मौके पर कब्ज है इसलिए अपनी कृषि भूमि को बैंक में रहन रखकर ऋण लेने का पूर्ण अधिकार है। सायल ने प्रार्थना पत्र में वर्णित गैरसायलान के साथ अपना नाम दर्ज करवाने व रेकर्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी नही है। वादग्रस्त आराजी में सायल न तो खातेदार काश्तकार है न ही मौके पर कब्जा काश्त है इस कारण से सायल के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला है न ही सुविधा का संतुलन है। सायल ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के कब्जेकाश्त बाबत् गिरदावरी/लगान की नकल भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नही की गई है। इसलिए सायल को किसी भी प्रकार से कोई असीम हानि होने का प्रश्न भी पैदा नही होता है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो घटक सायल के पक्ष में नही है। इस कारण से सायल अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष विरूद्ध गैरसायलान के प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से मय हजा खर्चा खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सम्बन्ध प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम बलून्दा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1014, 1056/2341, 968, 969, 977, 875, 876, 982, 1055 कुल रकबा 259-18 बीघा जो कि प्रार्थी के पिता लाला पुत्र जीता की होने तथा स्वयं लाला का वारिसान होने तथा लाला के फौतेदगी नामान्तरण द्वारा केवल लाला के अन्य पुत्र शंकरलाल, गोकल एवं महाराम को ही बतौर वारिसान दर्ज करने के कारण वादग्रस्त आराजी में अपने 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् वादपत्र पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वादपत्र के अनुतोष के संबंध में कोई टिप्पणी किए बिना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् यथा वादी दयाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, वादी का ग्राम पंचायत रास द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं पेंशनर वार्षिक सत्यापन स्लीप तथा बैंक डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि दयाराम, लालाराम का पुत्र है। जिसकी माता का नाम भूरी बाई है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी खातेदार लाला का वारिसान नही है लेकिन उक्त कथन के समर्थन में अप्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबंदीयो एवं नामान्तरण पंजिका का प्रतियो के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी लाल पुत्र जीता कौम माली के नाम दर्ज रही है। जो खातेदार के फौत उपरान्त शंकर, गोकल, महाराम पि0 लाला दर्ज की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी वादी के पक्ष में बखूबी साबित होता है अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किंया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन :- चुंकि वादग्रस्त आराजी लाला पुत्र जीता की होने तथा प्रार्थी के खातेदार लाला के पुत्र होने के कारण विधिक वारिसान होने से वादग्रस्त आराजी में अपने 1/4 हिस्सा निहित होना माना है तथा प्रथम दृष्ट्या मामला भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है। अतः प्रार्थी के हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना निहित होता है। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह विश्वास किया जाये कि सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित नही है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :- प्रथम दृष्ट्यां मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी में विरासत से निहित अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा है। वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में केवल अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होने के कारण यह पूर्ण संभावना रहती है कि वादपत्र के निर्णय तक अगर अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी का व्ययन किया जा सकता है। जिस[illegible] में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है तथा इन सब से [illegible] होगी। अप्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि अगर उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती तो उन्हे किस प्रकार से अपूर्णीय क्षति हो सकती है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में भली-भांति साबित होने से प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया सफल रहा हैं, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी का वर्तमान भू अभिलेख में परिवर्तन नही करने तथा वादग्रस्त आराजी का रहन बेचान हस्तान्तरण आदि नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी ग्राम बलून्दा तहसील जैतारण के खसरा संख्या 1014 रकबा 16–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 1056/2341 रकबा 27–00 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 968 रकबा 13–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 969 रकबा 16–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 977 रकबा 15–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 875 रकबा 00–04 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा संख्या 876 रकबा 40–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 982 रकबा 00–08 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा संख्या 1055 रकबा 130–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 9 कुल रकबा 259–18 बीघा के वर्तमान भू अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे, वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण आदि नही करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला–पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 31/05/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:53 IST
Reason: SelfAttested